विभागीय महत्वपूर्ण उपलब्धियां

::प्रवर्तन::

1-शासनादेश संख्या 10/2022/1089/36-3-2022-14(सा0)/2019 दिनांक: 29 जून 2022 के क्रम में पंजीयन हेतु शुल्क का पुनरीक्षण किया गया।

2- शासनादेश संख्या 1178/36-3-2023-45(सा0)/2016 दिनांक:07 अगस्त 2023 के क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं वाले अधिष्ठान का नियोजन उ0 प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 में जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

3- शासनादेश संख्या 1866/36-3-2024-1844430 दिनांक: 26 सितम्बर 2024 के क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं वाले नियोजन में योजित श्रमिकों के कार्य के घण्टों में 02 वर्ष के लिए शिथिलता प्रदान किये जाने कि स्वीकृति प्रदान की गयी।

4- शासनादेश संख्या 04/2023/2629/36-03-2023-1820/2012 दिनांक: 13 अक्टूबर 2023 के क्रम में उ0 प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अन्तर्गत साप्ताहिक बंदी कराने हेतु जिलाधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निरीक्षण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड,लखनऊ</u>

<u>महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ</u>

1: ई-श्रम पोर्टल

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित ई-श्रम पोर्टल पर उ0प्र0 वित्तीय वर्ष 2021-22 में 8,25,97,290, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4,04,669, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4,71,137, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3,72,479 तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक-06.08.2025 तक कुल 1,37,847 असंगठित कर्मकारों का पंजीयन है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के संख्या के आधार पर उ0प्र0 प्रथम स्थान पर है।

2: ई- श्रम एक्स ग्रेसिया

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या- F.NO.-M-16011 /34 /2021-SS-III (127162) द्वारा दिनांक-26.08.2021 से दिनांक-31.03.2022 के मध्य ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के हितार्थ ई श्रम एक्स ग्रेसिया मॉड्यूल लागू किया गया है। इस मॉड्यूल के अन्तर्गत दिनांक-31.03.2022 तक किसी दुघर्टना में मृत हुये श्रमिक के आश्रितों को रूपये 2 लाख तथा दिव्यांगता प्राप्त श्रमिकों को रूपये 1 लाख से 2 लाख तक हितलाभ दिये जाने की व्यवस्था है।

ई श्रम एक्स ग्रेसिया मॉड्यूल के अन्तर्गत उ0प्र0 में दिनांक-30.06.2025 तक कुल 357 आवेदन पत्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुये है उक्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक-31.07.2025 तक 205 आवेदन पत्रों पर अनुदान भुगतान की स्वीकृति दी जा चुकी है।

3: प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा असंगठित कामगारों हेतु संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन (PMSYM) योजना के अन्तर्गत असंगठित श्रमिक की आयु 60 वर्ष पूर्ण होने पर वृद्धावस्था की स्थिति में न्यूनतम 3000 रूपये प्रतिमाह पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु के असंगठित श्रमिक पोर्टल के माध्यम से पंजीयन करा सकते है। उ0प्र0 में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 13,130 श्रमिकों का पंजीयन, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 19,211 श्रमिकों का पंजीयन, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10,655 श्रमिकों का पंजीयन, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 16,245 श्रमिकों का पंजीयन तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक-06.08.2025 तक कुल

1,374 श्रमिकों द्वारा प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अन्तर्गत पंजीयन कराकर वृद्धावस्था पेंशन हेतु सामाजिक सुरक्षा प्राप्त की जा चुकी है।

4: नेंशलन पेंशन स्कीम-ट्रेडर्स योजना

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वरोजगारियों एवं लघु व्यापारियों हेतु संचालित एन0पी0एस0-ट्रेडर्स योजना के अन्तर्गत स्वरोजगारियों एवं लघु व्यापारियों की आयु 60 वर्ष पूर्ण होने पर वृद्धावस्था की स्थिति न्यूनतम 3000 रूपये प्रतिमाह पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु के स्वरोजगारी एवं लघु व्यापारी पोर्टल के माध्यम से पंजीयन करा सकते है। उ0प्र0 में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 504, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 145, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 756, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2611 तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक-06.08.2025 तक कुल 88 स्वरोजगारियों एवं लघु व्यापारियों द्वारा एन0पी0एस0-ट्रेडर्स योजना के अन्तर्गत पंजीयन कराकर वृद्धावस्था पेंशन हेतु सामाजिक सुरक्षा प्राप्त की जा चुकी है।

5: असंगठित श्रमिकों को फेमिली आई0-डी0 उपलब्ध कराने की कार्यवाही

बोर्ड द्वारा उ0प्र0 के समस्त ई-श्रम कार्ड धारक 8,31,28,860 असंगठित श्रमिकों को एक परिवार एक पहचान पत्र (विशिष्ट पहचान पत्र) फेमिली आई-डी उपलब्ध कराये जाने हेतु उनका सम्पूर्ण डाटा ए0पी0आई0 के माध्यम से राज्य नियोजन विभाग को दिनांक-23.07.2024 को उपलब्ध कराया गया है। राज्य नियोजन विभाग के माध्यम से उ0प्र0 के कुल 7,08,36,074 ई श्रम कार्ड धारक अंसगठित श्रमिको को फेमिली आई-डी उपलब्ध कराई गयी । यह संख्या पात्र श्रमिको के 100 प्रतिशत के समतुल्य है।

6: असंगठित श्रमिकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की कार्यवाही

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत उ0प्र0 के कुल 8,31,28,860 श्रमिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित किये जाने के उद्देश्य से खाद्य एवं रसद् विभाग के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य कराया गया तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र किन्तु अनाच्छादित कुल 35,18,830 श्रमिकों को राशनकार्ड उपलब्ध कराते हुये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादन दिलाया गया। इस प्रकार पूर्व आच्छादन को सम्मिलित करते हुये प्रदेश के कुल 7,08,36,074 असंगठित श्रमिक उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पात्र पाये गये है और समस्त पात्र श्रमिको को खाद्य एवं रसद् विभाग के माध्यम से राशनकार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है।

<u>बाल श्रम</u>

<u>योजना का नाम-बाल श्रमिक विद्या योजना</u>

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बाल श्रमिक विद्या योजना के अन्तर्गत 20 जनपदों हेतु 2000 लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसके अनुरूप बजट धनराशि का निर्धारण किया जाता है।

चूंकि योजनान्तर्गत धनराशि का व्यय लाभार्थियों की विद्यालय उपस्थिति के अनुरूप किया जाता है, यदि मासिक उपस्थिति 70 प्रतिशत से कम है तो लाभार्थी को सम्बन्धित माह की धनराशि हस्तान्तरित नहीं की जाती है जिस कारण आवंटित धनराशि शेष बच जाती है। जिसको समर्पित किया जाता है।

गत वित्तीय वर्षों में योजना के अन्तर्गत आवंटन/व्यय/समर्पण का विवरण निम्नवत् है-

वित्तीय वर्ष	आवंटन (धनराशि रू0 लाख में)	व्यय (धनराशि रू0 लाख में)	समर्पण (धनराशि रू0 लाख में)
2020.21	25.00	0 (कोविड 19 के कारण)	25.00
2021.22	25.00	22.41	2.59
2022.23	25.00	24.95	0.05
2023.24	300.00	244.8	55.2
2024.25	300.00	174.52	125.48

<u>योजना का नाम-बाल श्रम सर्वेक्षण योजना</u>

बाल श्रम सर्वेक्षण योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष 05.00 लाख की धनराशि सर्वाधिक बाल श्रम वाले जनपदों में सर्वेक्षण हेतु आवंटित की जाती है।

योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष बाल श्रम से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में से 05 जनपदों का बाल श्रम सर्वेक्षण हेतु चयन किया जाता है जिन्हें 1-1 लाख रू0 की धनराशि आवंटित की जाती है। सर्वेक्षण हेतु सर्वेक्षण संस्थाओं का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदीय बाल श्रम उन्मूलन समिति द्वारा किया जाता है। संस्था के चयन में विलम्ब अथवा सर्वेक्षण कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में उस जनपद में यदि सर्वेक्षण संस्था को भुगतान नही किया जाता है अथवा सर्वेक्षण पर आवंटित धनराशि सेे कम धनराशि व्यय होती है तो शेष धनराशि समर्पित कर दी जाती है।

गत वित्तीय वर्षों में योजना के अन्तर्गत आवंटन/व्यय/समर्पण का विवरण निम्नवत् है-

वित्तीय वर्ष	आवंटन (धनराशि रू0 लाख में)	व्यय (धनराशि रू0 लाख में)	**समर्पण धनराशि रू0 लाख में)**
2020.21	5.00	0 (कोविड 19 के कारण)	5.00
2021.22	5.00	2.00	3.00
2022.23	5.00	3.99	1.01
2023.24	5.00	4.0	1.0
2024.25	5.00	3.97	1.03

योजना का नाम-नवीन बंधुआ श्रम योजना

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में नवीन बंधुआ श्रम योजना के अन्तर्गत बंधुआ श्रम से अवमुक्त कराये गये श्रमिकों की पुनर्वासन पैकेज की मांग के अनुसार बजट धनराशि का निर्धारण किया जाता है।

योजना के अन्तर्गत अवमुक्त कराये गये बंधुआ श्रमिकों के सम्बन्ध में एस0डी0एम0 न्यायालयों में योजित समरी ट्रायल में बंधुआ श्रम सिद्ध होने के उपरान्त ही योजना के अन्तर्गत आर्थिक लाभ की धनराशि सम्बन्धित बंधुआ श्रमिक को उपलब्ध करायी जाती है। जैसे-जैसे समरी ट्रायल निर्णित होते हैं वैसे ही योजना के निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित जनपद द्वारा पुनर्वासन हेतु आर्थिक सहायता का प्रस्ताव मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाता है।

जिस वित्तीय वर्ष में समरी ट्रायल के उपरान्त जो प्रस्ताव जनपदों से प्राप्त होते हैं प्रस्ताव में मांगी गयी धनराशि के अनुसार धनराशि सम्बन्धित जनपदों को आवंटित कर दी जाती है। कभी-कभी सम्बन्धित श्रमिक जिसके सापेक्ष धनराशि आवंटित की गयी है उसकी धनराशि हस्तान्तरित करते समय अनुपब्धता, बैंक खाते में त्रुटि अथवा किसी अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण श्रमिक के खाते में धनराशि हस्तान्तरित नही हो पाती है तो ऐसी धनराशि समर्पित की कर दी जाती है।

गत में योजना के अन्तर्गत आवंटन/व्यय/समर्पण का विवरण निम्नवत् है-

वित्तीय वर्ष	आवंटन (धनराशि रू0 लाख में)	व्यय (धनराशि रू0 लाख में)	समर्पण (धनराशि रू0 लाख में)
2020.21	2500.00	210.60	2289.4
2021.22	2500.00	0	2500.00
2022.23	2500.00	846.36	1653.64
2023.24	2500.00	154.95	2345.05
2024.25	2500.00	177.7	2322.3

ब्यायलर्स प्रभाग द्वारा किए गए कार्यो की प्रगति से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष वार **05** वर्षों की सूचना

कमाक	वित्तीय वर्ष	पंजीकृत व्यायलर्स	व्यायलर्स के नवीनीकरण देतु जारी प्रमाण पत्र।
1	2021-22	152	2418
2	2022-23	183	2487
3	2023-24	228	2578
4	2024-25	196	2614
5	2025-26 (दिनांक. 06.08.2025 तक)	60	689

- वित्तीय वर्ष 2025-26 दिनांक: 06.08.2025 तक प्रदेश में कार्यरत कुल 3065 व्यायलर्स स्थापित है।
- वर्तमान में व्यायलर सम्बन्धित समस्त सेवाएं यथा नए ब्यायलर्स के पंजीकरण पूर्व स्थापित व्यायलर्स के प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण, व्वायलर के विनिर्माण, मरम्मत एवं इरेक्शन कार्य की अनुमति, समस्त व्यायलर विनिर्माणकर्ताओं, इरेक्शनकर्ताओं को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु एवं नवीनीकरण इत्यादि सेवाएं बिना किसी Human Interface के केवल ऑनलाईन माध्यम से प्रदान की जा रही है।
- व्यायलर से सम्बन्धित समस्त डाटा जैसे व्यायलर विनिर्माणकर्ता, इरेक्शनकर्ता, वेल्टर इत्यादि की सूची ऑनलाईन उपलब्ध है।
- व्यायलर्स के निरीक्षण के उपरान्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं उसका अनुपालन ऑनलाईन माध्यम से किया जाता है।
- नवीन व्यायलर्स के पंजीकरण के उपरान्त निरीक्षण ज्ञाप पुस्तिका (MB BOOK) ऑनलाईन पूर्ण की जाती है।
- प्रदेश में व्यायलर्स के निरीक्षण हेतु थर्ड पार्टी निरीक्षण की व्यवस्था विद्यमान है।
- व्यायलर विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त व्यायलर स्वामियों को ग्रीन व्यायलर के सम्बन्ध में मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

➢ भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रकोष्ठ,

(वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 माह जून तक (	
वर्ष	कुल संग्रहित उपकर) करोड़ में (
2020-21	878.81
2021-22	1007.55
2022-23	1297.46
2023-24	1730.42
2024-25	1772.45
2025-26 (माह जून तक (	356.68

अटल आवासीय विद्यालय से सम्बन्धित अद्यतन सूचना

- अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिये भूमि ऑवटन एवं निर्माण लागत एवं पूंजीगत अवस्थापना संबंधी समाग्रियों का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, अतएव इन विद्यालयों में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के साथ ही उस क्षेत्र/मण्डल के अनाथ बच्चों की शिक्षा पर आने वाले आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय का वहन भी राजस्व मद के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।
- अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन 11 सितम्बर, 2023 से प्रारम्भ है। 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन/लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2023 को वाराणसी में किया जा चुका हैं तथा माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दृष्टिगत अटल आवासीय विद्यालय, बरेली का शुभारम्भ 01 अप्रैल, 2025 से किया जा चुका है। अटल आवासीय विद्यालय, मुरादाबाद का संचालन 01 जुलाई 2025 से किया जा रहा है।
- 18 अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण करा दिया गया है, जिसका नियमानुसार हस्तांतरण सम्बन्धित क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्तों को करा दिया गया है।
- वर्तमान में अटल आवासीय विद्यालयों में कक्षा-06, 07, 08, 09 एवं 10 की कक्षायें संचालित है, जिसमे समस्त 18 मण्डलों में कुल अध्ययनर्त बच्चों की संख्या लगभग 10,617 है, जिसे आगामी भविष्य में कुल 18000 बच्चों को प्रवेशित कराया जायेगा।
- 18 अटल आवासीय विद्यालय में वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु फर्नीचर एवं आई0टी0 संबंधी समाग्रियों की शत्-प्रतिशत क्रय/आपूर्ति/स्थापना का कार्य शत्-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। फर्नीचर एवं आई0टी0 के क्रय हेतु धनराशि रू0 3458.07 लाख का प्राविधान हो चुका है।

- 18 अटल आवासीय विद्यालय में वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु लेब और मिसलेनियस मद हेतु धनराशि रू0 414.00 लाखका प्राविधान हो चुका है।
- अटल आवासीय विद्यालयों में सुरक्षा के दृष्टिगत अतिरिक्त कार्य कराये जाने हेतुधनराशि रू0 1558.64 लाख का प्राविधान हो चुका है।
- शैक्षणिक सत्र 2025-26 मे अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेशित अनाथ बच्चों प्रवेश शुल्क हेतु राजस्व मद में धनराशि रू0428.00 लाख का प्राविधानहो चुका है।
- महानिदेशक, अटल आवासीय विद्यालय के पत्र संख्या I/227117/2025 दिनांक 01.08.2025 द्वारा अटल आवासीय विद्यालयों में आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षायें संचालित किये जाने के दृष्टिगत आवश्यक स्थाई सामग्रियों (फर्नीचर, स्मार्ट-क्लास आई0टी0 उपकरण एवं मिसलेनियस) के क्रय/स्थापन हेतु उपलब्ध कराया गया अनुमानित मांग की जा रही धनराशि रू0 2975.76 लाख का बजटीय प्राविधान वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम अनुपूरक के माध्यम से कराये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अटल आवासीय विद्यालय योजना से सम्बन्धित संक्षित विवरणः—

अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य एवं अतिरिक्त कार्य हेतु शासन द्वारा पूंजीगत मद में स्वीकृत/पुनरीक्षित लागत, कार्यालय द्वारा अवमुक्त धनराशि, कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा व्यय धनराशि एवं अद्यतन भौतिक प्रगति, का विवरणः—

क्र0	मद	वित्तीय वर्ष	लेखाशीर्षक (पूंजीगत मद)	बजट प्रावधान (रू0 करोड़ में)	शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि (रू0 करोड़ में)	कार्यदायी संस्था लो0नि0वि0/क्षेत्रीय कार्यालय को आवंटित धनराशि (रू0 करोड़ में)	कार्यदायी संस्था लो0नि0वि0/क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा व्यय धनराशि (रू0 करोड़ में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण/संचालन हेतु।	2020—21	4202—01—202—03 (अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना)	270.00	270.00	270.00	270.00
2.	तदैव	2021—22		270.00	270.00	270.00	270.00
3.	तदैव	2022—23		472.78	472.78	417.441395	417.441395
4.	तदैव	2023—24		198.4232	194.1557018	190.1146966	145.1460908
5.	तदैव	2024—25		87.8885949	79.4162870	62.2421019	60.4810229
6	तदैव	2025—26		54.3071	—	—	—

अटल आवासीय विद्यालय योजना से सम्बन्धित संक्षित विवरणः—

18 अटल आवासीय विद्यालयों हेतु प्रदेश के अनाथ बच्चों का अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेशित कराकर शैक्षणिक कार्य कराये जाने हेतु राजस्व मद में प्राविधानित/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का विवरणः—						
क्रमांक	मद	लेखाशीर्षक (राजस्व मद)	वित्तीय वर्ष	शासन द्वारा प्राविधानित धनराशि (रू0 करोड़ में)	शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि (रू0 करोड़ में)	अवमुक्त/व्यय धनराशि (रू0 करोड़ में)
1	अनाथ बच्चों के शैक्षणिक कार्य हेतु शासन द्वारा प्राविधानित अटल आवासीय विद्यालय	111— (श्रमिक के लिए सामाजिक सुरक्षा 10 अटल आवासीय विद्यालयों में अनाथ बच्चों के प्रवेश)	2023-24	1.4425	1.4085	1.4085
2	तदैव	तदैव	2024-25	4.28	-	-
3	तदैव	तदैव	2025-26	444.60	-	-

श्रम कल्याण परिषद

क्र	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2020—21		वित्तीय वर्ष 2021—22		वित्तीय वर्ष 2022—23		वित्तीय वर्ष 2023—24		वित्तीय वर्ष 2024—25	
		लाभार्थियों की संख्या	वितरित की गई धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	वितरित की गई धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	वितरित की गई धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	वितरित की गई धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	वितरित की गई धनराशि
1	डा0 ए0पी0 जे0 अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना	49	4,29,000	71	8,14,000	27	4,70,000	8	1,70,000	16	3,55,000
2	गणेश शंकर विद्याथी श्रमिक पुरस्कार राशि योजना	186	7,02,000	397	23,30,000	244	14,38,500	21	1,22,500	52	3,32,500
3	दत्तोपंत ठेंगडी मृतक श्रमिक आर्थिक सहायता योजना	08	1,20,000	12	3,00,000	47	13,15,000	10	8,50,000	37	37,00,000
4	ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्या दान योजना	74	11,10,000	137	50,00,000	306	1,45,88,000	85	42,57,000	147	74,97,000

5	राजा हरिश्चन्द्र मृतक श्रमिक अन्त्येष्टि सहायता योजना	04	20,000	07	70,000	17	1,70,000	9	90,000	28	2,80,000
6	महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय आर्थिक सहायता योजना।	—	—	01	7,500	2	15,000	—	—	—	—
7	श्रवण कुमार श्रमिक परिवार तीर्थ यात्रा योजना	—	—	19	43,000	96	81,222	—	—	4	12,000
8	चेतन चौहान श्रमिक क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना	—	—	03	1,50,000	—	—	—	—	—	—
		321	23,81,000	647	87,14,500	739	1,80,77,722	133	54,89,500	284	1,21,76,500

अदत्त संचय धनराशि का विवरण

वित्तीय वर्ष 2020—21 से 2024—25 तक

	वित्तीय वर्ष	अदत्त धनराशि
1	2020—21	1,14,88,181
2	2021—22	1,07,35,376
3	2022—23	55,98,928
4	2023—24	59,56,610
5	2024—25	1,24,67,878
	योग	**5,92,69,351**